



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN)
UNIVERSITY, (BHOPAL)



म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

बी. एड. एवं डी. एल. एड.

काउंसिलिंग-2017-19

म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय बी.एड. एवं डी. एल.एड. - 2017-19 काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं अर्हताएँ

काउंसिलिंग प्रक्रिया :-

चरण 1 : विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं च्वाइस फिलिंग

(सफलतापूर्वक पंजीकरण एवं च्वाइस फिलिंग कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी पंजीयन एवं च्वाइस फिलिंग की रसीद प्राप्त करेंगे । च्वाइस फिलिंग भुगतान करने के पश्चात ही लॉक होंगी ।

पंजीयन शुल्क रु 200 + GST 18 % केवल पोर्टल चार्ज पर देय होगा)

(दिनांक 08/11/2017 से 17/11/2017 तक)

चरण 2 : अध्ययन केन्द्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन

(अध्ययन केन्द्र उन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे जिन्होंने पंजीकरण तथा च्वाइस फिलिंग का भुगतान कर दिया है तथा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की पावती (slip) प्रदान की जाएगी ।)

(दिनांक 10/11/2017 से 19/11/2017 तक)

चरण 3 : सीट आवंटन (Seat Allotment)

(जिन अभ्यर्थियों ने अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया है उनकी च्वाइस के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा ।)

चरण 4 : आवंटन पत्र (Allotment Slip) प्रिंट करना

(अभ्यर्थी अपने सीट आवंटन की स्थिति को ध्यानपूर्वक देखकर आवंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त करें ।)

(दिनांक 24/11/2017 से 30/11/2017 तक)

चरण 5 : अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित अध्ययन केन्द्र पर रिपोर्ट करना

(रिपोर्टिंग के समय अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग स्लिप प्रदान कर उनका प्रवेश सुनिश्चित करेंगे ।)

(दिनांक 24/11/2017 से 30/11/2017 तक)

चरण 6 : ऑनलाइन शिक्षण शुल्क (Tution Fee) जमा करना

(विद्यार्थी केवल ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एम. पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क द्वारा) शिक्षण शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे ।

शिक्षण शुल्क, पोर्टल चार्ज रु 100 + GST 18 % केवल पोर्टल चार्ज पर देय होगा ।)

(दिनांक 24/11/2017 से 30/11/2017 तक)



सत्यापन हेतु दस्तावेजों की सूची :-

बी.एड. काउंसिलिंग हेतु :

क्र.	दस्तावेज	यदि अनिवार्य है (हाँ /नहीं)	टिप्पणी (Remark)
1	10 वीं की अंकसूची	हाँ	यदि अभ्यर्थी 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
2	12 वीं की अंकसूची या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण (यदि हायर सेकेंडरी पुरानी शिक्षा पद्धति अनुसार है तो 11 वीं की अंकसूची मान्य होगी)	हाँ	यदि अभ्यर्थी 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
3	न्यूनतम अर्हतादायक दस्तावेज : क्या आप सेवा शिक्षक (in service teacher) के रूप में नियमित रूप से प्रशिक्षित हैं (डी.एल. एड./ डी.एड./ बी.टी.आई./ डी.पी.ई.) अथवा आपने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रूप से (फेस-टू-फेस) अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो।	हाँ	यदि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
4	स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा (किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है।)	हाँ	स्नातक अंकसूची के अभाव में, अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।



	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों में 5% की छूट होगी		
5	शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र (म.प्र. में कार्यरत स्कूल का नाम एवं पते सहित)	यदि उपलब्ध हो तो	
6	जाति प्रमाण-पत्र ओबीसी / एससी / एसटी (OBC/SC/ST) हेतु (म.प्र. के मूल निवासियों के लिए ।)	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह ST/SC/OBC श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा वह अनारक्षित श्रेणी में माने जावेगे ।
7	उप श्रेणी प्रमाण-पत्र (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (FF)/शारीरिक विकलांग (PH)/विधवा/सैनिक) (म.प्र. के मूल निवासियों के लिए)	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह उप-श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा
8	म.प्र. के मूल निवासी	हाँ	यदि अभ्यर्थी म.प्र. के मूल निवासी सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो उसे म.प्र. के बाहर के आवेदक के रूप में माना जाएगा।
9	आधार कार्ड की कॉपी	हाँ	दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान वास्तविक आधार कार्ड की कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10	फोटो का सत्यापन	हाँ	फॉर्म में प्रदर्शित फोटो का सत्यापन दस्तावेज़ सत्यापन हेतु



		आए अभ्यर्थी के साथ किया जाएगा अभ्यर्थी की फोटो के सत्यापन नहीं होने पर वह काउंसिलिंग के लिए अपात्र होंगे
--	--	--

डी. एल. एड. काउंसिलिंग हेतु :

क्र.	दस्तावेज़	यदि अनिवार्य है (हाँ/नहीं)	टिप्पणी (Remark)
1	10 वीं की अंकसूची	हाँ	यदि अभ्यर्थी 10वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
2	12 वीं की अंकसूची या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ वर्ष 2014 या उससे पूर्व उत्तीर्ण (यदि हायर सेकेंडरी पुरानी शिक्षा पद्धति अनुसार है तो 11 वीं की अंकसूची मान्य होगी)	हाँ	यदि अभ्यर्थी 12वीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं करता/करती है तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगा/होगी।
3	स्नातक अंकसूची	यदि उपलब्ध हो तो	यदि उपलब्ध है तो, सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
4	स्नातकोत्तर अंकसूची	यदि उपलब्ध हो तो	यदि उपलब्ध है तो, सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
5	न्यूनतम अर्हतादायक दस्तावेज़ : न्यूनतम दो वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र (किसी भी मान्यता प्राप्त	हाँ	यदि अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं तो वह काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।



6	शासकीय/अशासकीय विद्यालय से नियमित शिक्षण अनुभव) वर्तमान में म.प्र. में सेवारत होने का प्रमाण-पत्र (वर्तमान में मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी भी शासकीय/अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का अनुभव प्रमाण-पत्र जो संबंधित DEO या BEO या संकुल प्राचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित हो । CBSE संबद्ध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य किए जा सकेंगे ।	हाँ	म.प्र. में सेवारत होने के प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे।
7	जाति प्रमाण-पत्र ओबीसी/ एससी/ एसटी (OBC/SC/ST) हेतु म.प्र. के मूल निवासियों के लिए	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म.प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह ST/SC/OBC श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा वह अनारक्षित श्रेणी में माने जावेगे ।
8	उप श्रेणी प्रमाण-पत्र (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (FF)/शारीरिक विकलांग (PH)/विधवा/सैनिक) म.प्र. के मूल निवासियों के लिए	हाँ	ऐसे अभ्यर्थी जो म. प्र. के मूल निवासी संबंधी शर्तों को पूर्ण करते हो यदि वह उप-श्रेणी में आते हैं तो उन्हें सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा
9	म.प्र. के मूल निवासी	हाँ	यदि अभ्यर्थी म.प्र. के मूल निवासी सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो उसे म.प्र. के बाहर के आवेदक के रूप में माना जाएगा।
10	आधार कार्ड की कॉपी	हाँ	दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान




11	फोटो का सत्यापन	हाँ	आधार कार्ड की कॉपी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फॉर्म में प्रदर्शित फोटो का सत्यापन दस्तावेज़ सत्यापन हेतु आए अभ्यर्थी के साथ किया जाएगा। अभ्यर्थी की फोटो के सत्यापन नहीं होने पर वह काउंसलिंग के लिए अपात्र होंगे
----	-----------------	-----	---

मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी. एड. / डी. एल. एड. पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उपश्रेणी एवं महिला उम्मीदवार की सीटों पर प्रवेश मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों को दिया जावेगा।



मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बी. एड. एवं डी. एल. एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सेलिंग प्रक्रिया





आवंटन पत्र (Allotment
Letter)
का प्रिंट प्राप्त करें

1. सीट आवंटन होने पर विद्यार्थी अपने आवंटन पत्र (Allotment Letter) का प्रिंट प्राप्त करें ।
2. आवंटन पत्र (Allotment Letter) का प्रिंट प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी अपना पंजीकरण क्रमांक एवं पासवर्ड का प्रयोग करें ।

अध्ययन केंद्र में छात्र द्वारा
रिपोर्टिंग

1. विद्यार्थी अपने आवंटित संस्थान में आवंटन पत्र (Allotment Letter) एवं समस्त उल्लेखित दस्तावेजों के साथ नियत समयावधि में प्रस्तुत होकर आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग करें ।
2. सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग होने के पश्चात विद्यार्थी आवंटित संस्थान से रिपोर्टिंग स्लिप प्राप्त करें ।

रिपोर्टिंग पश्चात ऑनलाइन
"Tuition Fee" का भुगतान

1. सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग होने के पश्चात विद्यार्थी अपनी "Tuition Fee" का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एम. पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के माध्यम से करें ।
2. विद्यार्थी भुगतान पश्चात भुगतान की रिसीप्ट अवश्य प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा किया गया भुगतान सफल हो । शिक्षण शुल्क के साथ पोर्टल चार्ज रु 100 + GST 18 % केवल पोर्टल चार्ज पर देय होगा । भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एम. पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के माध्यम से करें ।



सीटों की आवंटन प्रक्रिया:

UR_X_OP	UR_X_F	UR_CLS_OP	UR_CLS_F
UR_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS
	UR_X_F_SEATS	UR_CLS_OP_SEATS	UR_X_F_SEATS
			UR_CLS_OP_SEATS

CAT_X_OP	CAT_X_F	CAT_CLS_OP	CAT_CLS_F
UR_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS
CAT_X_OP_SEATS	UR_X_F_SEATS	UR_CLS_OP_SEATS	UR_X_F_SEATS
	CAT_X_OP_SEATS	CAT_X_OP_SEATS	UR_CLS_OP_SEATS
	CAT_X_F_SEATS	CAT_CLS_OP_SEATS	CAT_X_OP_SEATS
			CAT_X_F_SEATS
			CAT_CLS_OP_SEATS



MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, (BHOPAL)

LEVEL	CONVERSION FROM	CONVERSION TO
1	UR_X_F_SEATS	UR_X_OP_SEATS
1	UR_CLS_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS
1	CAT_X_F_SEATS	CAT_X_OP_SEATS
1	CAT_CLS_OP_SEATS	CAT_X_OP_SEATS
2	ST_X_OP_SEATS	SC_X_OP_SEATS
3	SC_X_OP_SEATS	ST_X_OP_SEATS
4	ST_X_OP_SEATS	OBC_X_OP_SEATS
4	SC_X_OP_SEATS	OBC_X_OP_SEATS
5	OBC_X_OP_SEATS	UR_X_OP_SEATS

X: None SubCategory, CLS – SubCategory, CAT – ST/SC/OBC, OP – OPEN, F -Female

संपर्क विवरण

कस्टमर केयर (08:30 AM - 10:00 PM)

0755-4019400

URL:- <https://www.mponline.gov.in>,
<https://mpbou.mponline.gov.in>